Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 GISRRJ | Volume 7 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन

एकता जैन

पी. एच. डी. शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

Article Info
Volume 7, Issue 6

Page Number : 08-16

Publication Issue :
November-December-2024

Article History
Accepted : 10 Nov 2024
Published : 20 Nov2024

सारांश: शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए इसीलिए अब शिक्षा का समावेशीकरण किया जा रहा है। शिक्षा हम सभी के लिए अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की स्थिति को अच्छी तरह से समझता है एवं आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन कर विकसित समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ढ़ांचागत समर्थन के माध्यम से समावेशी शैक्षिक संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। हमारा देश विभिन्नताओं से परिपूर्ण है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय एवं आर्थिक विभिन्नताओं के व्यक्ति निवास करते है और उनके अपने भिन्न-भिन्न मूल्य है। इन सारी विविधताओं एवं विभिन्नताओं के कारण बालकों को समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे लक्ष्यों को समाहित किया गया है जिसमें भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने के मार्ग में प्राप्त अवसरों में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबन्धित परिस्थितियां बाधक न बन सकें । यह नीति निर्धारित करती है कि विशेष आवश्यकता वाला हर बच्चा सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकारी है । शिक्षा के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में 'समावेशी शिक्षा' उभरी है जो पारंपारिक रूप से बहिष्कृत समूहों या अलगाववादी समूहों विशेषत: दिव्यांग बच्चों, सामान्य बच्चों एवं अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले बच्चों के लिए एक ही छत के नीचे शिक्षा तक पहुँच की प्राप्ति पर जोर देता है। भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को देश में लागू करना अपनी प्राथमिकता बनाया है । सरकार द्वारा इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक कानून एवं कार्यक्रम बनाए गए है लेकिन नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतराल बना हुआ है जिसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेष प्रयास कर रही है । विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समस्या को समझने एवं समस्या समाधान करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। अत: विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए एक समान रूप से समावेशी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है ।

मुख्य शब्द- समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निराशाजनक, असमानता।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 'सभी के लिए अधिगम' की उपलब्धता को क्रियान्वित करने की बात करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए आवश्यकतानुसार समावेशी शिक्षा की स्थापना की जा रही है । इस नीति के तहत दिव्यांग बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार उनके लिए सहयाक उपकरण एवं तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएगी । इसके द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से ग्रसित बालकों को एक ही कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया जाएगा जिसके माध्यम से विशिष्ट बच्चों में छिपी योग्यता को बाहर लाया जा सकता है । विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने में समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाएगी । निराशाजनक एवं असमानता पूर्ण स्थिति को समाप्त करने एवं बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए समान एवं समावेशी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है ।

आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुसार सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए अधिकारों एवं प्रावधानों की सिफ़ारिश की गई है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य समावेशन प्राप्ति हेतु विद्यालयी दृष्टिकोण को समर्थन देना है जिसके तहत विद्यालय परिसरों को अनुकूल बनाना, शैक्षिक केन्द्रों में संसाधनों की उपलब्धता, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री का डिजिटलीकरण, कक्षा शिक्षण में खेल गतिविधियों को संचालित करना एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना संबंधी पाठ्यक्रम गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है । सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए समावेशी शिक्षा पूर्व में शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना एवं आर.एम.एस.ए. योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेप में से एक है । यह अधिनियम नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को वरीयता देता है । आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 3(2) दिव्यांग बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा एवं देख-रेख पर विशेष ध्यान केन्द्रित करती है । 2012 के संशोधन में यह स्वीकार्य कर दिया गया कि गंभीर एवं अति-गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे को गृह शिक्षा का विकल्प चयन करने का अधिकार है । सी.डब्ल्यू.एस.एन. वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को क्रियान्वित किया जाएगा । आठ वर्ष की प्रारम्भिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने वाले सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रणाली में सक्षम, सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण में चार वर्षीय माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर प्रदान करना है ।

2009 से पूर्ण रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 'एकीकृत शिक्षा योजना' कार्यरत थी किन्तु 01.04.2009 से "माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा" (आई.ई.डी.एस.एस.) एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की गई है । आई.ई.डी.एस.एस. योजना का उद्देश्य माध्यमिक स्तर में प्रवेशरत दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में समावेशी वातावरण के अनुरूप अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाना है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकें एवं शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को समाप्त किया जा सकें । अभी भी देश में कुछ ऐसे वर्ग विद्यमान है जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच संभव नही है जिनमें मुख्य रूप से दिव्यांग बालक-बालिकाएं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बालक-बालिकाएं, कमजोर एवं दलित वर्ग के बालक-बालिकाएं एवं आदिवासी जनजातियों के बालक एवं बालिकाएं मुख्य रूप से शामिल है । यदि शिक्षा की समग्रता की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो शिक्षा में इनका % अत्यंत कम है । 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की साक्षरता दर 55 % है जो लगभग 1.46 करोड़ है जिनमे महिला साक्षरता दर 45 % की अपेक्षा पुरुष साक्षरता दर 62 % अपेक्षाकृत अधिक है । इसी प्रकार दलित वर्ग के व्यक्तियों की साक्षरता दर 66.1% है

जिनमें महिला साक्षरता दर 56.5 % की अपेक्षा पुरुष साक्षरता दर 75.2% अपेक्षाकृत अधिक है । यू-डाइस 2016-17 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का नामांकन लगभग 19.6 % है जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अभाव में केवल 17.3 % ही शेष है तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन 10.6 % से घटकर केवल 6.8 % और दिव्यांग बच्चों के संबंध में नामांकन 1.1 % से घटकर .25 % हो गया है । विद्यालयों में इन वंचित समूहों को लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जबकि विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है । नामांकन की यह भारी गिरावट विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों में देखी जा सकती है ।

2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' को लागू करने का उद्देश्य देश के समस्त निवासियों को शत-प्रतिशत शिक्षित करना था जिसमें मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षित करने की बात की गयी थी एवं 2009 में 'शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम' को लागू किया गया । यह नीति सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा पर केन्द्रित है जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात की गई । इस नीति में भाग 1 विद्यालयी शिक्षा में VI समता मूलक और समवेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम एवं भाग 2 उच्चतर शिक्षा XIV उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश की अवधारणा को प्रस्तुत करता है ।

समावेशी शिक्षा का अर्थ: - समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें दिव्यांग बच्चों एवं अक्षम बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता तथा शिक्षा में पूर्ण सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराना है । यह शिक्षा गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है जिसमें उन्नत एवं उपयोगी पाठ्यचर्या, उत्कृष्ट शिक्षण विधियां, सहायक सेवाएं तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा । समावेशी शिक्षा विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक सदस्यों एवं सक्रिय व क्रियाशील जनसमूह के सहयोग से कार्य करने के लिए निरंतर तत्पर है । भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से दिए जाने की बात की है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है । समावेशी शिक्षा की संकल्पना का लक्ष्य यह है कि विद्यालय में तथा विद्यालय से बाहर परिवार में, समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं दिव्यांग बालकों के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की सुनियोजित रूपरेखा बनाना है । वास्तव में समावेशी शिक्षा विद्यालयी गतिविधियों के साथ-साथ बाहरी वातावरण में शिक्षा की संकल्पना का पोषण करती है । बाहरी वातावरण से आशय यह है कि दिव्यांगता से ग्रसित बालकों को अन्य सभी बालकों के साथ विद्यालयी सीमा को समाप्त करके जन समूह के मध्य जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ।

सलामांका स्टेटमेंट 1994 के अनुसार "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके शारीरिक, भाषायी, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य कोई परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बालकों को प्रवेश अवश्य देना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से प्रतिभावान बच्चे, दिव्यांग बच्चे, जुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण एवं बंजारी क्षेत्रों के बच्चे, भाषायी, प्रजातीय या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बच्चे तथा अन्य क्षेत्रों में अलाभान्वित या अधिकार हीन क्षेत्रों से जुड़े बच्चे शामिल है ।" युनेस्को ने इसकी स्पष्टता को व्यक्त करते हुए बताया कि - "समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, गुणों और समुदायों के सीखने की अपेक्षाओं का आदर करते हुए एवं सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु एक सतत लक्षित प्रक्रम है ।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के लिए दिए गए प्रमुख बिन्दु:

- सरकार की बहुत सी नीतियों के द्वारा अपनी विद्यालयी शिक्षा में लैंगिक व सामाजिक श्रेणियों के अंतराल को कम करने का प्रयास किया है परंतु आज भी यह असमानता विद्यमान है । आज भी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक का नामांकन स्तर लगातार घट रहा है एवं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बालकों तथा महिलाओं की संख्या में नामांकन स्तर में मुख्य रूप से भारी गिरावट देखी जा सकती है ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक न्याय व समानता प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन शिक्षा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे किसी भी बच्चे के लिए सीखने के मार्ग में प्रशस्त अवसरों में उसकी सामाजिक आर्थिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ किसी भी रूप में बाधक न बन सकें । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में पहुँच, कक्षा सहभागिता, अधिगम परिणाम एवं सामाजिक विभेद के अंतराल को दूर करना सभी शैक्षिक क्षेत्रों के विकास कार्यों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अर्जित करने के क्रम में हम देखते है कि यू-डाइस 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार शिक्षा का प्रतिशत इस प्रकार है :

क्रम संख्या	विद्यार्थी श्रेणी	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	प्राथमिक स्तर - 19.6% उच्चतर या माध्यमिक स्तर - 17.3%
2	अनुसूचित जनजाति	प्राथमिक स्तर - 10.6% उच्चतर या माध्यमिक स्तर - 6.8%
3	दिव्यांग विद्यार्थी	प्राथमिक स्तर - 1.1% उच्चतर या माध्यमिक स्तर - 0.25%

तालिका 1.1: यू-डाइस के अनुसार विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में आयी गिरावट

इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला विद्यार्थियों की संख्या में विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर नामांकन में ओर भी अधिक गिरावट देखने को मिलती है ।

- गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों तक पहुँच में रुकावट, भाषायी अक्षमता, सामाजिक रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं में अनुसूचित संबंधित अनेक कारकों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के नामांकन एवं प्राधिकरण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है ।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समूह एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितयों का सामना करते है। आदिवासी समुदायों के बच्चे विशेषत: अपनी विद्यालयी शिक्षा को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक मानते है क्योंकि उन्हें विद्यालय में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं की जाती । आदिवासी समुदायों के बच्चो के शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए संचालित सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकें इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि वंचित समूहों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) या दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए यह नीति सक्षम तंत्र बनाने के महत्व पर बल देती है जिससे समान शिक्षा की अवधारणा का निर्माण किया जा सकें ।
- प्रारम्भिक शिक्षा से संबन्धित ई.सी.सी.ई., मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान, विद्यालय तक पहुंच, नामांकन, उपस्थिति संसाधन तथा तकनीकी आदि से संबन्धित समस्याओं की चर्चा भाग 1 विद्यालयी शिक्षा में 1.1 – 1.8 अध्यायों के अंतर्गत की गई है । यह विशेष रूप से लाभान्वित एवं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए अधिक प्रासांगिक है । इस नीति में इन उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।
- अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लक्षित छात्रवृत्ति का सशर्त नगद हस्तांतरण करने तथा परिवहन हेतु साइकिल जैसी विभिन्न सफल नीतियों एवं योजनाओं को अधिक सुदृढ़ता से पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाएगा ।
- भारत सरकार द्वारा सभी लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर समूहों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर समावेशी नीति' का गठन किया जाएगा जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए एक कोष भी स्थापित किया जाएगा जिससे राज्य स्तर पर यह सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें । इसका मुख्य उद्देश्य वंचित समूहों या लिंग आधारित असमानता को समाप्त करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा । एस.ई.डी.जी. की शिक्षा तक पहुँच से संबन्धित समस्याओं के समाधान हेतु 'समावेशी निधि' की व्यवस्था की जाएगी ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जहां स्थानीय एवं क्षेत्रिय स्तर पर विद्यालय तक आने के लिए विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहां 'जवाहर नवोदय विद्यालय' के आधार पर नि:शुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा जिससे इस दूरी से विद्यार्थियों को बचाया जा सकें । इन छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' को अधिक मजबूत एवं सशक्त रूप से निर्मित किया जाएगा जिससे सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े व वंचित समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को क्रियान्वित किया जा सकें । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान दिया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक नामांकन स्तर की गिरावट को दूर करने व प्रतिभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें ओर अधिक विस्तारित किया जाएगा । वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त 'जवाहर नवोदय विद्यालय' एवं 'केंद्रीय विद्यालय' का

निर्माण किया जाएगा । अन्य प्राथमिक विद्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों में विशेष कर वंचित क्षेत्रों में 'प्री–स्कूल वर्ग' को जोड़ा जाएगा ।

- इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता ई.सी.सी.ई. में दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित करके उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है । यह शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के सदर्भ में आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बैठाती है तथा इसमें निहित विद्यालयी शिक्षा संबंधी सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार करती है । एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा' तैयार करते समय दिव्यांगों के लिए 'राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों' के साथ परामर्श किया जाएगा ।
- दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों में वित्तीय सहायता की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी । इसके साथ ही विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं से अवगत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार ग्रामीण स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अल्प दिव्यांगता वाले बच्चों के पास विद्यालय चयन के अवसर विद्यमान रहेंगे जिसमें नियमित विद्यालय एवं विशेष विद्यालय का विकल्प होगा । विद्यालय जाने में असमर्थ व गंभीर आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए 'गृह आधारित शिक्षा' का विकल्प विद्यमान होगा जबकि इस शिक्षा के तहत संसाधन केंद्र उनके अभिभावकों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे । इसको क्रियान्वित करने के लिए विषय विशेषज्ञों की सहमति से दिशानिर्देश व मानक विकसित किए जाएगे ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को अध्यापन कराने संबंधी जागरूकता व ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सभी शिक्षक 'प्रशिक्षण पद्धति' का अनिवार्य हिस्सा होने चाहिए । अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों एवं लैंगिक समूहों के प्रति संवेदशीलता को विकसित किया जाना चाहिए जिससे उनकी विद्यालयी सहभागिता में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सकें ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमताओं वाले बच्चे अधिकांश कक्षाओ में पठन–पाठन करते है । उन्हें समय–समय पर निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है । कुछ अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सबंधित मामलों में जितनी तीव्र गति से सहायता की प्रक्रिया आरंभ की जाती है उतनी ही तीव्र गति से प्रगति की संभावनाएं भी दृष्टिगोचर हो जाती है । सीखने से संबन्धित विशिष्ट अक्षमताओं की पहचान करने एवं निवारण देने हेतु विभिन्न योजनाओं के निर्माण में विशेष रूप से शिक्षकों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है । इसके लिए विद्यार्थियों को उनकी गति के अनुरूप कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान करना एवं प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए जिससे आकलन और प्रमाणन के लिए 'अनुकूल इको सिस्टम' निर्मित किया जान चाहिए ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों में अध्ययन अध्यापन संबन्धित जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे ज्ञान रूपी प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी शिक्षक कक्षा में अनिवार्य

शिक्षा को नवीन दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा सकते है । अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता निर्मित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकें।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों के भिन्न-भिन्न वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे अपनी प्राचीन परंपराओं एवं वैकल्पिक शिक्षणशास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों को सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं राज्य भाषाओं को आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । नई-नई गतिविधियों एवं शैक्षणिक अभ्यासों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमताओं को उन्नत बनाया जाएगा ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि उन्हें अपने विषयों, क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप संयुक्तिकरण करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इन प्रयासों से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में विद्यार्थियों के घटते प्रतिशत को धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी स्तर पर शैक्षणिक विकास को बनाए रखने के लिए असमानताओं को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे वंचित समूहों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी । विद्यालयी शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभाशाली व मेधावी छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान दिया गया कि रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी,. विंग खोजने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिससे विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं अद्वितीय क्षमता को उन्नत बनाया जाएगा । यह कार्य इन विद्यार्थियों में रक्षा सेना की प्रासंगिकता को उजागर करने का प्रयास होगा ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एस.ई.डी.जी. के तहत पूर्ण समावेश व समता की प्राप्ति हेतु विद्यालयी संस्कृति को परिवर्तित स्वरूप में लागू करने की आवश्यकता है । विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों की आवश्यकताओं एवं समावेशी धारणाओं के प्रति सभी शिक्षाविदों को संवेदनशील होना चाहिए । इस प्रकार यह विद्यालयी संस्कृति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में सहायता प्रदान करेगी ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों को सम्मिलित किया जाएगा जिससे व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहिष्णुता, लैंगिक समानता, शैक्षिक समानता, अहिंसा, सहानुभूति, समावेशन व समता को विकसित किया जा सकता है । इन मूल्यों की स्थापना से विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकेंगा जिससे कक्षा शिक्षण में 'विविधता में एकता' को क्रियान्वित किया जा सकता है । विद्यालयी पाठ्यक्रम में ऐसी 'प्रासंगिक शिक्षण सामग्री' को शामिल किया जाएगा जिससे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से मुक्ति मिलें और इसे सभी समुदायों के लिए एक समान स्तर पर लागू किया जा सकें ।

निष्कर्ष:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्य नीतियों की अपेक्षा अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें विद्यालयी शिक्षा की संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए है जिससे समता व समावेशन की परिकल्पना को विकसित किया जा सकता है एवं उच्च विश्वविद्यालयी स्तर पर संस्कृति को ओर अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए अनुसंधान की क्षमता को

क्रियान्वित किया जा सकता है । इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कुशलता, क्षमता, ज्ञान एवं संस्कृति को पहचानने के अवसर प्रदान किए जाएंगे । विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'लचीला पाठ्यक्रम' निर्मित करने से सभी विषयों के चयन के अवसर कक्षा-कक्ष में उपलब्ध हो पाएंगें । भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए 'सतत विकास एजेंडा 2030' के लक्ष्य के अनुरूप सभी के लिए समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है जिससे शिक्षा के अवसरों को जीवन पर्यंत सीखने के क्रम में लागू किया जा सकता है । यह शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए न केवल योग्य शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करता है बल्कि विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों एवं गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रयत्नशील कार्य करने के लिए तत्पर है जिससे सभी के लिए शिक्षा की समान अवधारणा को पूर्ण किया जा सकेंगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए निरंतर एवं सदैव संकल्पबद्ध है ।

संदर्भ

1. डॉ प्रीति कछावा. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 : समतामूलक और समावेशी शिक्षा. एस.डी.ई.एस. इंटेरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसीप्लीनरी रिसर्च, पृ. 85 - 88.
2. गितेश कलीता. (2024) समावेशी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020. द साईंटीफिक टेंपर. खंड 15, एस.पी.एल. 2.
3. सलामां का स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना, 1994.
4. Kem, D. (2020). NATIONAL EDUCATION Inclusion.EPH-International Journal of Educational Research,4(3), 7-13.
5. Done, E. J., & Andrews, M. J. (2020). How Inclusion became Exclusion: Policy, Teachers and Inclusive Education.Journal of Education Policy,35(4), 447-464.
6. Singh, D., & Mishra, R. S. (2023). Equity and Inclusion in Indian Education: Constitutional Principles and NEP 2020 Approaches.BSSS J. Education,12(01), 128-139.
7. Nevill, T., & Savage, G. C. (2023). The changing rationalities of Australian federal and national Inclusive Education policies.The Australian Educational Researcher,50(5), 1343-1361.
8. Luthra, S. Inclusion of all? Looking through the New Educational Policy, 2020.MERI.
9. Panigrahi, S. P., & Malik, N. (2020). A Roadmap to Inclusive Education in NEP2020.Juni Khyat,10(3), 41-47.
10. Jain, M., & Mishra, S. K. (2020). Inclusive Education in NEP 2020: Looking Beyond Horizon.Tiss Journal of Disability Studies And Research,110.
11. Arora, M. Inclusive Education and NEP 2020: An Analysis. Rabindranath Tagore University Journal Shodhayetan, Volume-VIII, Issue-XVI, June 2021, P-1601-1606.

12. M.H.R.D., (2020). National Education Policy, Ministry of Human Resource Development, Government of India.
13. https://www.researchgate.net/publication/374813782InclusiveEducationregardingNEP-2020ChallengesandRemedies
14. https://issuu.com/wiprofoundation/docs/samuhikpahalvol2issue11/s/16685571
15. https://www.linkedin.com/pulse/social-work-practices-wake-inclusive-education-nep-2020-toms-ninan-1hilc/